राजस्थान में परिवहन विभाग ने किए 4500 से अधिक चालान

पुलिस ने एक हजार शराबी वाहन चालकों को पकड़ा, 34 हजार लोगों को ट्रैफिक नियम समझाए

जयपुर, 7 नवम्बर (का.सं.)। राज्य सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान प्रदेशभर में 4 से 18 नवम्बर तक चलाया जा रहा है। 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को दूसरे दिन तीन गुना तक पुलिस विभाग की कार्रवाई बढ़ गई। प्रदेश के 34 हजार से अधिक लोगों को ट्रैफिक नियम समझाए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वाले करीब 1 हजार ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की। परिवहन विभाग ने भी 4500 से अधिक चालान किए। अभियान के तहत वाहन चालकों के आंखों की जांच कर चश्में बांटे गए।

एडीजी (ट्रैफिक) डॉ. बी. एल. मीना ने बताया- सड़क सुरक्षा अभियान के दूसरे दिन 5 नवंबर को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पहले दिन से तीन गुना तक सख्त कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने पर 999, ओवर स्पीड वाहन चलाने पर 4 हजार 460, रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 2 हजार 554, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 480, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने पर 514 और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 1 हजार 725 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

इस दौरान 34 हजार 645 वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों एवं सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों पर एनएच-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने के लिए पुलिस जाप्तों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। साथ ही लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमें तैनात रहीं और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने अभियान के तहत प्रदेश में नियमों का उल्लंघन करने पर अब तक कुल 4 हजार 572 वाहनों के चालान किए हैं। विभाग ने तीसरे दिन (6 नवंबर) को कार्रवाई में तेजी लाते हुए 1 हजार 814 वाहनों के चालान किए। इसमें मालवाहक वाहनों पर ओवरलोडिंग के 115, इन वाहनों में यात्री पाए जाने पर 36 तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 1 हजार 214 मालवाहक वाहनों के चालान किए गए। यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री पाए जाने पर 19, छत पर सामान रख संचालन करने पर 6 बसों तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 283 यात्री वाहनों का चालान किया। अभियान के दौरान परिवहन विभाग द्वारा 34 व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए, 9 वाहनों का परमिट भी कैंसिल किया तथा 87 वाहनों को सीज किया गया है। इस दौरान अन्य प्रकरणों में भी विभाग द्वारा चालान किए गए हैं।

एजुकेट गर्ल्स को मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत की लाखों बालिकाओं की शिक्षा में परिवर्तन लाने वाले 55,000 टीम बालिका स्वयंसेवकों को किया समर्पित

मनीला (फिलीपींस), 7 नवम्बर (वेब वार्ता)। भारत की गैर-लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संस्था को भारत की लाखों बालिकाओं की शिक्षा में असाधारण परिवर्तन लाने और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से शिक्षा को जन-आंदोलन बनाने के लिए प्रदान किया गया है।

एजुकेट गर्ल्स यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई है। संस्था ने यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान अपने 55,000 टीम बालिका स्वयंसेवकों, फील्ड कोऑर्डिनेटर्स और स्थानीय युवा सलाहकार को समर्पित किया है, जो हर दिन यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि भारत की हर बालिका को शिक्षा का अवसर मिले और वह अपने सपनों को साकार कर सके।

2007 में स्थापित एजुकेट गर्ल्स ने बीते लगभग दो दशकों में गरीबी और निरक्षरता के चक्र को तोड़ने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है।

एजुकेट गर्ल्स की सीईओ गायत्री नायर लोबो ने कहा, यह पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि जब समुदाय, सरकारें, स्थानीय साझेदार, कार्मिक, स्वयंसेवक और दानदाता एक साथ आते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह हमारे सामूहिक प्रयासों और सरकारी पहलों का सम्मान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें हमारे अगले लक्ष्य- वर्ष 2035 तक 1 करोड़ शिक्षार्थियों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। दुनिया भर में लाखों लड़कियां अभी भी सीखने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही हैं और हम नहीं चाहते कि उन्हें अब और इंतजार करना पड़े।

एजुकेट गर्ल्स के बारे में

एजुकेट गर्ल्स एक भारतीय गैर-लाभकारी संस्था है, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में बालिकाओं की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है। संस्था का कार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और उल्लास कार्यक्रम के अनुरूप है। 2007 से अब तक, एजुकेट गर्ल्स ने राज्य सरकारों के सहयोग से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के 30,000 से अधिक गांवों में 20 लाख से अधिक बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित किया है।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया में मानवता की महानता और प्रेरक नेतृत्व के उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष गुप्त वैश्विक नामांकन प्रक्रिया और कठोर मूल्यांकन के बाद चयनित व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है।

रमेश चंद नागर बनेगे समरसता के एजेकेशन ब्रांड एम्बेसडर

(बाल दिवस पर 2100 बच्चो का अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के सानिध्य में करेंगे सम्मान)

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 7 नवम्बर (का.सं.)। अन्तर्राष्ट्रीय समरसता मंच की कार्य-योजना को आगे बढाते हुऐ कोटा जिले के प्रमुख भामाशाह लोह पुरूष एकता अवार्डी रमेश चंद नागर को समरसता का एजुकेशन ब्राड एम्बेसडर बनाया गया है। मंच के मुख्य सलाहकार डॉ0 कुलदीप प्रसाद शर्मा ने बताया की रमेश चंद नागर ने अपने जीवन काल में प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुऐ शिक्षा के क्षेत्र में 4 करोड़ 10 लाख रूपये का दान दे चुके है। उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन का वेतन व पेशन की राशी राजस्थान सरकार को शिक्षा की भागीदारी की सुनिश्चिचता करने के साथ ही उन्होने अपने पेतृक गॉव कुराडिया खुर्द में 10 बीघा जमीन देकर हाडोती में मॉडल स्कुल बनाने का काम किया है। राजस्थान सरकार द्वारा 4 बार शिक्षा भुषण पुरूस्कार, 4 बार सम्भाग स्तर पर, 4 बार जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान के पहले ऐसे शिक्षक है। जिनके तीन विभागो में फोटो फ्रेम लगे हुऐ। अन्तर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा रमेश चंद नागर को सरदार पटेल की जयन्ति पर ''लोह पुरूष एकता अवार्ड'' से सम्मानित कर इनकी कार्य योजना को वैश्विक स्तर पर बढाने के लिए कार्य कर रहा है। मंच के बोर्ड सलाहकार शांतिनाथ जोशी द्वारा रमेश चंद नागर को एजेकेशन ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सम्पूर्ण भारत वर्ष से 2100 बच्चो को दिनांक 14 नवंबर 2025 को बाल दिवस के अवसर पर बाल गौरव अवार्ड से सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। रमेश चन्द्र नागर के इस ऐतिहासिक कार्य के लिए नेपाल राष्ट्र में 28 व 29 दिसम्बर को नेपाल सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानन्द झा द्वारा उनको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

केकड़ी सुधा सागर स्कूल हादसे के बाद प्रशासन पहुँचा स्कूल, घटना स्थल का किया मुआयना – स्कूल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 7 नवम्बर (दीपांकुर चौहान)। कस्बे के सापुन्दा रोड स्थित श्री सुधा सागर विद्यालय में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ, जब विद्यालय की तीसरी मंजिल पर बने एक कक्षा कक्ष की फॉरसीलिंग अचानक ढह गई। इस हादसे में कई छात्र घायल हो गए, जबकि प्रशासनिक जांच में विद्यालय प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है।

विद्यालय प्रशासन ने बिना किसी निर्माण अनुमति और बिना फायर एनओसी (अग्निशमन विभाग की अनुमति) के तृतीय मंजिल पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया था। हादसे के समय कक्षा 9वीं के छात्र कक्षा में अध्ययनरत थे, तभी अचानक फॉरसीलिंग गिरने से छात्र मोहित जोशी सहित कई विद्यार्थियों को चोटें आईं।

हादसे की सूचना पर एसडीएम दीपांशु सांगवान और पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा प्रशासनिक टीम के साथ विद्यालय पहुँचे और मौके का मुआयना किया। जांच के दौरान पाया गया कि विद्यालय की तीसरी मंजिल पर बिना स्वीकृति के लोहे के स्ट्रक्चर पर निर्माण किया गया है, जिसमें सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। खुले विद्युत तारों, कमजोर स्ट्रक्चर और फायर एनओसी के अभाव के कारण भविष्य में बड़े हादसे की संभावना बनी हुई है।

आयुक्त ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर लिया सफाई व्यवस्था का जायजा

नाथद्वारा। 7 नवंबर को पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल द्वारा नाथद्वारा नगर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान पालिका आयुक्त द्वारा सफाई की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित सफाई कर्मियों, जमादारों एवं स्वास्थ्य निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए, कि नगर की स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयुक्त जिंदल ने सभी सफाई कर्मियों को नियमित रूप से ड्यूटी पर समय पर उपस्थित रहने तथा अपने-अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही नगर में स्थित कचरा पेटियों को प्रतिदिन नियमित रूप से खाली करवाने हेतु भी आदेश दिए गए, ताकि शहर में गंदगी व दुर्गंध की समस्या उत्पन्न न हो, निरीक्षण के दौरान एक सफाईकर्मी पुखराज की ओर से कार्य में लापरवाही पाए जाने पर पालिका आयुक्त ने उनके विरुद्ध सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर की स्वच्छता व्यवस्था नगर की पहचान है, और इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी।आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने यह भी कहा कि नगरपालिका प्रशासन का लक्ष्य स्वच्छ नाथद्वारा-स्वस्थ नाथद्वारा अभियान को सफल बनाना है, जिसके लिए सभी कार्मिकों को मिलजुलकर कार्य करना आवश्यक है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.H.E.D. CITY DIV I (S) JAIPUR

S.No. 2990-2995 Date: 27-10-2025

E-Mail: eesouth 1.jai.phed@rajasthan.gov.in

Phone: 0141-2705173

CORRIGENDUM FOR DATE EXTENTION

Dates are extended for the following NIT:
RONO. 15354 Datel- 14/10/2025

S. No	NIT Detail	Existing last date of online submission of tender document.	Amended last date of online submission of tender document.	Existing last date of opening Technical bid	Amended last date of opening Technical bid
1	NIT-36/2025- 26	27.10.2025	06.11.2025 till 06:00 P.M.	28.10.2025 at 11:00 A.M.	07.11.2025 at 11:00 A.M.

UBN No. PHE2526SLOB07544
Tender ID: 2025 _PHCJA_507183_1
The tender documents have been uploaded on https://sppp.rajasthan.gov.in and https://eproc.rajasthan.gov.in/nicgep/app all other terms and conditions will remain same as before.

Executive Engineer
PHED, City Div. I(S),
Gandhi Nagar, Jaipur

DIPR/C/16026/2025

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर केकड़ी में देशभक्ति का जश्न – वंदे मातरम् रन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 7 नवम्बर (दीपांकुर चौहान)।राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदेमातरम् रन एवं वंदेमातरम् थीम पर आधारित सांस्कृतिक जिला स्तरीय कार्यक्रम केकड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर दिनांक 7 नवम्बर 2025 आयोजित किये गए। वंदे मातरम् रन जिसका स्थान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी से महाराणा प्रताप सर्किल तक समय प्रातः 7.30 बजे आयोजित की गई जिसमें शहर के आम नागरिक,युवा,विद्यार्थी तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह व उमंग के साथ भाग लिया। इस देशभक्ति के कार्यक्रम में लगभग 300 से 400 लोगों ने अपनी जन-भागीदारी निभाई तथा जिसके साथ ही सायं 4 बजे वंदे मातरम् थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नगरपालिका रंगमंच केकड़ी में आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारम्भ राष्ट्रगीत वंदेमातरम् गायन से हुआ इसी दौरान विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक रगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में माननीय पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, अति. जिला कलक्टर केकड़ी व उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, पुलिस उपाधीक्षक केकड़ी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

निवास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसके बाद इसे एनएचएफपीएल के रूप में जाना जाएगा)
रजि. कार्यालय: - यूनिट नंबर 305, तीसरी मंजिल, विंग 2/ई, कॉर्पोरेट एवेन्यू, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093

NIWAS HOUSING FINANCE

कब्ज़ा नोटिस
[नियम 8(1) और (2)]

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहां उल्लेखित सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता राशि चुकाने में असफल होने पर, उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि एनएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उस पर अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लेखित तिथि पर सुरक्षा हित प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे उल्लेखित राशि के लिए एनएचएफपीएल के शुल्क और उस पर ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं और संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
LNBHL0HL-12210020377, LNBHLLAP-02220022486	1. टीकम चंद (उधारकर्ता) 2. बनवारी कुमावत (सह-उधारकर्ता)	रु. 16,10,928/- (सोलह लाख दस हजार नौ सौ अट्ठाईस रुपये मात्र) दिनांक: 18 अप्रैल 2025	04-नवंबर-2025	सांकेतिक कब्ज़ा

संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट संख्या 39 ए, 5×46 वर्ग फुट और प्लॉट संख्या 40 का उत्तरी भाग, 10 × 44+46/2 वर्ग फुट, श्री टीकमचंद पुत्र श्री हेमाराम कुमावत, मालोला गांव, पटवार क्षेत्र मालोला, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा-राजस्थान की आराजी संख्या 1569 पर स्थित, 675 वर्ग फीट क्षेत्रफल, निम्नलिखित सीमाएं हैं- पूर्व-रोड, पश्चिम योजना सीमा, भूखंड संख्या 39 का उत्तर-शेष भाग, भूखंड संख्या 40 का दक्षिण-शेष भाग

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं और संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
LNBHL0HL-11230037205	1. श्याम लाल कीर (उधारकर्ता) 2. सांवर कीर (सह-उधारकर्ता) 3. केसर कीर (सह-उधारकर्ता)	रु. 8,37,279/- (आठ लाख सैंतीस हजार दो सौ उनासी रुपये मात्र) दिनांक : 22 जुलाई 2025	04-नवंबर-2025	सांकेतिक कब्ज़ा

संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल श्री श्याम लाल पुत्र नंदा कीर का पट्टा संख्या 33, ग्राम माली खेड़ा, ग्राम पंचायत सुरास, पंचायत समिति मंडल, तहसील मंडल, जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी माप 920 वर्ग फुट है, जिसकी सीमाएँ निम्नलिखित हैं पूर्व-सांवर/नंदा, पश्चिम-लाडू/गोपी, उत्तर-राधा/नानू, दक्षिण-रास्ता

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं और संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
LNBRP0HL-02240041088	1. मेघ सिंह (उधारकर्ता) 2. पुकाती (सह-उधारकर्ता)	रु. 5,13,990/- (पाँच लाख तेरह हज़ार नौ सौ नब्बे रुपये मात्र) दिनांक : 14 अगस्त 2025	04-नवंबर-2025	सांकेतिक कब्ज़ा

संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल पट्टा संख्या 52, भूमि माप क्षेत्र 108.33 वर्ग गज, गांव-कवाई, ग्राम पंचायत कवाई, पंचायत समिति नदबई, तहसील-नदबई, जिला-भरतपुर (राजस्थान) निम्नलिखित सीमाएं हैं- पूर्व- 65 फीट इस तरफ जगत सिंह का घर, पश्चिम- 65 फीट इस तरफ शिवराम का घर, उत्तर-15 इस तरफ दिगंबर का घर, दक्षिण- 15 इस तरफ चौड़ी सड़क (कुल माप क्षेत्र 108.33 वर्ग गज)

स्थान: भीलवाड़ा, भरतपुर
दिनांक: 08.11.2025

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
निवास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड CIN: U67100GJ2015PTC083994
पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेल: ram-jaluka@cfmarc-in संपर्क: 022-40055282/8976862752

कब्जे की सूचना

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2024 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता /गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

ऋणी/सह-ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता	मांग नोटिस की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 5009420, भूपेन्द्र नायक (ऋणी), नीरज नायक (सहऋणी), सुगन लाल (सहऋणी), रेशमा देवी (सहऋणी), अजय कुमार (गारंटर)	01-मार्च-25 Rs. 5,76,959/- पांच लाख छिहत्तर हजार नौ सौ उनसठ रूपये मात्र 31-12-2024 तक	04-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 02 ग्राम दुलापुर कारी तहसील एवं जिला गंगानगर राज. 335001 क्षेत्रफल 144.5 वर्गफीट, पूर्व: 33.1/2इंच भेखा राम, पश्चिम: 33.1/2इंच रोड, उत्तर: 43'' सुखदेव, दक्षिण: 43'' बलराम
(ऋण खाता संख्या) 5014300, हंस राज (ऋणी), सरोज देवी (सहऋणी), जमना राम (सहऋणी)	01-मार्च-25 Rs. 3,35,754/- तीन लाख पैंतीस हजार सात सौ चौवन रूपये मात्र 31-12-2024 तक	04-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित ग्राम पंचायम 10जेड, पंचायत समिति एवं जिला श्री गंगानगर, राज. 335001, क्षेत्रफल 642 वर्गफीट, पूर्व: 30'' गली, पश्चिम: 30'' रोड 12' चौडी, उत्तर: 60' कृष्ण का मकान, दक्षिण: 60फीट धरम पाल का मकान
(ऋण खाता संख्या) 5043595, अमनदीप सिंह (ऋणी), दलजीत कौर (सहऋणी)	02-मार्च-25 Rs. 2,82,954/- दो लाख बयासी हजार नौ सौ चौवन रूपये मात्र 31-12-2024 तक	01-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 33 बुक नं. 20 चक 11 एसटीबी, तहसील पीलीबंग, जिला हनुमानगढ, राज. 335803, क्षेत्रफल 450 वर्गफीट, पूर्व: रोड, पश्चिम: जग्गा सिंह, उत्तर: रोड, दक्षिण: रोड
(ऋण खाता संख्या) 5017685, हरबंस सिंह (ऋणी), सरबजीत कौर (सहऋणी)	01-मार्च-25 Rs. 3,54,052/- तीन लाख चौवन हजार बावन रूपये मात्र 31-12-2024 तक	06-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 18 एवं 19, 7-ओ हरिजन कॉलोनी तहसील श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर, राज. 335073, क्षेत्रफल 3080 वर्गफीट, पूर्व: 56 सतीश कुमार, पश्चिम: 56 रोड, उत्तर: 55 ओमप्रकाश, दक्षिण: 55 मुख्त्यार सिंह
(ऋण खाता संख्या) 5017724, रतन लाल (ऋणी), सुरेन्द्र कुमार (सहऋणी), प्रिंका देवी (सहऋणी)	01-मार्च-25 Rs. 5,30,605/- पांच लाख तीस हजार छः सौ पांच रूपये मात्र 31-12-2024 तक	06-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित आहता नं. 98 का भाग, ग्राम पंचायत, मनफूलसिंह वाला, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर, 335025, राज. क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट, पूर्व: 50फीट रामपाल का प्लॉट, पश्चिम: 50 फीट काशीराम गोयल का प्लॉट, उत्तर: 30 फीट राजेश का मकान, दक्षिण: 3 फीट रोड 20 फीट चौडी
(ऋण खाता संख्या) 5019354, घनश्याम दास (ऋणी), माम कौरी (सहऋणी)	01-मार्च-25 Rs. 3,70,950/- तीन लाख सत्तर हजार नौ सौ पचास रूपये मात्र 31-12-2024 तक	06-नवम्बर-25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 44, बुक नं. 189, ग्राम पंचयत लाधुवाला, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर, राज. 335002, क्षेत्रफल 432 वर्गफीट, पूर्व: 36 इंच जगदीश, पश्चिम: 36 इंच रोड, उत्तर: 64 इंच राम लाल, दक्षिण: 64 इंच घरेलू गली

दिनांक: 07.11.2025
स्थान: हनुमानगढ / श्रीगंगानगर, राज.

प्राधिकृत अधिकारी
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
[सीएफएमएआरसी ट्रस्ट – 151 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत]

आनंद राठी
आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड : एक्सप्रेस ज़ोन, ए विंग, 8वीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ई), मुंबई - 400 063 भारत
मोबाइल: +91 9813887931 | वेबसाइट: www.rathi.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से नीचे दिए गए ऋणी/सह-ऋणी/ओं/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित **अनुसूची** अचल संपत्ति, अन्य बातों के साथ-साथ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड **["ARGFL"] (सुरक्षित लेनदार)** को सुरक्षित है, जिसका ऋण खाता संख्या **APPL**00002556 है, जिसका रचनात्मक कब्जा, अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेखित तिथि पर वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से ऑनलाइन ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित तिथि को, ''जहां है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर, अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेखित कुल राशि और उस पर संविदात्मक ब्याज और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ओं/गारंटर से वसूली की तिथि तक अन्य लागत और प्रभारों की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

उधारकर्ता का नाम: (1) श्री अमर नारायण (उधारकर्ता) 56, हरिजन बस्ती पुराना, आमेर रोड, जयपुर-302002, राजस्थान।

सह-उधारकर्ता/कों का नाम: (2) श्रीमती उर्मिला (सह-उधारकर्ता) 56, हरिजन बस्ती पुराना, आमेर रोड, जयपुर-302002, राजस्थान, **(3) श्री सोनू (सह-उधारकर्ता)** 56, हरिजन बस्ती पुराना, आमेर रोड, जयपुर-302002, राजस्थान

संपत्ति का पता: 56, हरिजन बस्ती पुराना, आमेर रोड, जयपुर- 302002, राजस्थान, **पूर्व:** प्लॉट संख्या 56-ए और 56-बी **पश्चिम:** रोड 20'-0'' **उत्तर:** श्री हरिलाल और श्री कमल का मकान **दक्षिण:** रोड 15' 0''

बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार, भविष्य के ब्याज और लागत सहित)	रू. 20,01,172/- (बीस लाख एक हजार एक सौ बहत्तर रुपये मात्र)
नीलामी की तिथि	15 दिसंबर 2025
आरक्षित मूल्य	रू. 29,70,460/- (उनतीस लाख सत्तर हजार चार सौ साठ रुपये मात्र)
बयाना राशि जमा	आरक्षित मूल्य का 10%
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रू.10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)
इच्छुक खरीदारों के लिए संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	8 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक
केवाईसी दस्तावेजों/ईएमडी प्रमाण आदि के साथ निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि और समय	11 दिसंबर 2025 केवाईसी दस्तावेजों के साथ शाम 4 बजे तक
ऑनलाइन या खुलने वाले प्रस्तावों की तिथि और समय	15 दिसंबर 2025 सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच

नोट: इच्छुक बोलीदाता/क्रेता नीलामी कार्यवाही से संबंधित विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए आनंद राठी समूह की वेबसाइट www.rathi.com पर जा सकते हैं।

यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ओं/गारंटर को नियम 8(6) एवं 9(1) या सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत निर्धारित 30 दिन का नोटिस भी है।

दिनांक: 07 नवम्बर, 2025
स्थान: जयपुर

हस्ता/- आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लि